राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 623/2025

तरूण रावत —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, वन, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, बारां।
4. भरत राठौड़, क्षेत्रीय वन अधिकारी ग्रेड—द्वितीय, रेंज अटरू, उपवन संरक्षक, बारां।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 06.02.2025

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, केवियटर

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज छबड़ा, उपवन संरक्षक बारां में कार्यरत है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2007 में हुई थी। अपीलार्थी ने दिनांक 02.03.2007 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी को रेंज केलवाड़ा, उपवन संरक्षक बारां से रेंज छबड़ा, उप वन संरक्षक, बारां में स्थानान्तरण किया गया। अपीलार्थी ने उक्त आदेश की पालना में दिनांक 23.02.2024 (अनुलग्नक—3) को कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जू अधीक्षक, कार्यालय उपवन सरंक्षक, वन्यजीव कोटा में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को स्वयं की इच्छा पर इच्छित स्थान पर पदथापित करने के आशय से बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करते हुए मात्र 10 माह का ही समय हुआ है। अपीलार्थी का अल्पावधि में स्थानान्तरण करना राज्य सरकार के परिपत्र/स्थानान्तरण निर्देश दिनांक 20.04.2011 (अनुलग्नक—4) के विपरीत जाकर किया गया है, जो अनुचित एवं विधि—विरूद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन

संख्या 385/2021 दशरथ सिंह बनाम वन विभाग में पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 (अनुलग्नक–5) के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 के आदेश दिनांक 20.04.2011 के बिन्दु संख्या 1.1 के विपरीत जाकर किये गये स्थानान्तरण आदेश पर स्थगन आदेश जारी किया गया। जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.2023 (अनुलग्नक–6) के द्वारा की गई। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 3888/2021 ओमप्रकाश शर्मा बनाम वन विभाग में पारित आदेश दिनांक 23.09.2021 (अनुलग्नक–7), अपील संख्या 1141/2023 रघुनाथराम बनाम राजस्व विभाग में पारित आदेश दिनांक 28.08.2023 (अनुलग्नक–8), अपील संख्या 165/2023 योगेश उपाध्याय बनाम शिक्षा विभाग में पारित आदेश दिनांक 11.09.2023 (अनुलग्नक–9) तथा माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6507/2019 डॉ. संजय प्रभूणे बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 10.04.2019 (अनुलग्नक–10) का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अपीलार्थी हृदय की बीमारी से ग्रसित है। अपीलार्थी की हाल ही में एन्ज्योप्लास्टी भी हुई है। अपीलार्थी को हार्ट की बीमारी के चलते ज्यादा यात्रा करने से परहेज बताया गया है तथा अपीलार्थी को समय–समय पर चिकित्सकीय परामर्श भी लेना होता है (अनुलग्नक–11)। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलर्थी को यथावत वर्तमान क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज छबड़ा, उपवन संरक्षक बारां में रखने के आदेश प्रदान किये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वितीय के पद पर रेंज छबड़ा, उपवन संरक्षक बारां में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से जू अधीक्षक, कार्यालय उपवन सरंक्षक, वन्यजीव कोटा में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में नियमानुसार स्थानान्तरण किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को समंजित करने का प्रश्न है **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। हमने इस तर्क पर विचार किया है और हमारे मत में केवल इस कारण कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को उस की स्वयं की प्रार्थना पर अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है, यह आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अनुचित फायदा पहुंचाने

के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 में हस्तक्षेप करने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य